②

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 140/2022

थानाधिकारी, पुलिस थाना, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

जयपाल पुत्र झण्डुराम जाति जाट उम्र 46 साल निवासी गिडानिया, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रकरण सं0 442/2020 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 थाना चिडावा मे जप्त सामग्री के निस्तारण के आदेश लेने बाबत।

–––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 29.06.2022

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि वाक्यात मुकदमा हाजा संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि दिनांक 23.11.2020 को मन अरूण कुमार आरपीएस प्रो0 थानाधिकारी चिडावा मय दयाराम एचसी 93 मय अरविन्द कानि0 1005 मय सरकारी वाहन चालक विरेन्द्र कानि0 943 के समय 6.07 पीएम पर वास्ते गश्त ईलाका व लोकल स्पेशल एक्ट कार्यवाही रवाना इलाका थाना हुआ। मन थानाधिकारी मय जाप्ता के गश्त सब्जी मण्डी, चूंगी नाका, रेल्वे स्टेशन, खेमू की ढाणी, अरडावता करता हुआ समय 6.45 पीएम अरडावता गिडानिया चौराहा पर पहुंचा जहां पर जरिये मुखबीर खास ईतला मिली की गिडानिया गांव के बाहर पावर हाउस के पास रोही में जयपाल पुत्र झण्डुराम नाम का व्यक्ति जो पेंट शर्ट एवं स्वेटर पहने हुए है जो लंबा सा है ड्रम में पेट्रोल भरकर अवैध रूप से बेचान कर रहा है। मुखबीर की खास इतला सत्यापन हेतु बाद इतला अवगत हमराहीयान करवाकर मय जाप्ता रवाना होकर समय 7.10 पीएम पर गांव गिडानिया के बाहर पावर हाउस के पास रोही में पहुचा तो एक शख्स पुराने से ढारे के अन्दर बैठा दिखाई दिया जिसको मन एसएचओ हमराही जाप्ता ने वाहन से नीचे उतरकर ढारे के अन्दर जाकर चैक किया तो ढारे के अन्दर एक ड्रम रखा हुआ था जिसके उपर एक कीप पडा हुआ है व ड्रम के पास एक शख्स बैठा हुआ है जिसको मन थानाधिकारी मय जाप्ता ने नाम पता पूछा तो अपना नाम जयपाल पुत्र झण्डुराम जाति जाट उम्र 46 साल निवासी गिडानिया होना बताया । शख्स को ड्रम में क्या रखा है बाबत पूछा तो बताया कि इसमें पेट्रोल भरा हुआ है मन थानाधिकारी ने ड्रम खोलकर चैक किया तो ड्रम के अन्दर करीब 50 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है ड्रम का रंग नीला है जिस पर अंगेजी में Lubrikote since 1975 लिखा हुआ है। शख्स के हाथ में 850 रूपये में 15 नोट 50–50 रूपये के, 3 नोट 20–20 रूपये के, 2 नोट 10 रूपये के है। शख्स जयपाल को इतनी भारी मात्रा में पेट्रोल बेचने बाबत लाइसेन्स या अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा तो बताया कि मेरे पास पेट्रोल बेचने बाबत किसी प्रकार का लाइसेंस नही है। मै यह पेट्रोल हरियाणा से सस्ते दाम में लाकर यहां बेचकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मुनाफा कमाता हूं। शख्स द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से पेट्रोल बेचना 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 के खिलाफ वर्जी मे आना पाया जाने पर शख्स के कब्जे में मिले ड्रम में से एक प्लास्टिक की बोतल में एक लीटर पेट्रोल बतौर बजह सैम्पल लिया जाकर सील मोहर कर मार्क ए अंकित किया गया। आदि–आदि पर अ0स0 442/20 जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 में कायम कर तफतीश श्री महेश कुमार मौका कसीद किया गया बयान गवाहान 161 दप्रस मे लेखबद्ध किए। बाद तफ्तीश मुल0 को पेश कोर्ट किया गया तो हांसला तफ्तीश एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुल0 जयपाल पुत्र झण्डूराम जाति जाट उम्र 46 साल निवासी गिडानिया थाना चिडावा जिला झुंझुनू राज0 जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः जप्त पेट्रोल के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से एक ड्रम मे 50 लीटर पेट्रोल व एक कीप जप्त किया गया है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स पेट्रोल के विक्रय बाबत नही था। उक्त पेट्रोल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा एक ड्रम मे 50 लीटर पेट्रोल व एक कीप के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि उसने अनजाने मे व नियमों की जानकारी के अभाव मे पेट्रोल विक्रय का अवैध कृत्य किया है। अप्रार्थी फिर कभी ऐसा कृत्य नही करेगा। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने बहस के दौरान स्वीकार किया है कि उसने अनजाने मे व नियमों की जानकारी के अभाव मे डीजल विक्रय का अवैध कृत्य किया है। साथ ही प्रकरण मे पेट्रोल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस पेट्रोल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये एक ड्रम मे 50 लीटर पेट्रोल व एक कीप को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (2) के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा ड्रम मे 50 लीटर पेट्रोल व एक कीप का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, चिडावा को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:36 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं